



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1334]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2008/भाद्र 31, 1930

No. 1334]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2008/BHADRA 31, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

का.आ. 2247(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (पाचवां संशोधन) आदेश, 2008 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. सं. का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008 के अधीन आदेश द्वारा यथासंशोधित विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में पैरा 3 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण— यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसके स्टॉकों का भाग आयतों से प्राप्त किया गया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।"

[फा. सं. 10/4/2008-ई.सी.आर.एण्ड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा. का. नि. 104(अ) तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सं. सा. का. नि. 490(अ) तारीख 16 जून, 2003, सं. का.आ. 1373 (अ) तारीख 29 अगस्त, 2006 सं. का. आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 सं. का. आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का. आ. 400(अ) तारीख 28 फरवरी, 2008 सं. का.आ. 823(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2008, सं. का. आ. 2117 (अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 और सं. का. आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा उसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O. 2247(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fifth Amendment), Order 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of (Licensing requirements, stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 as amended by the Order *vide* S.O. 823(E) dated 7th April, 2008, in para 3, after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely :—

“**Explanation :** If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.”

[F. No. 10/4/2008-ECR&E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 104(E) dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by number G.S.R. 490 (E), dated the 16th June 2003, number S.O. 1373 (E), dated the 29th August, 2006, number S.O. 297 (E) dated the 27th February, 2007, number, S.O. 1488 (E) dated the 31st August, 2007, number S.O. 400 (E) dated the 28th February, 2008, number S.O. 823 (E) dated the 7th April, 2008, number S.O. 2117 (E) dated the 27th August, 2008 and S.O. 2118 (E) dated the 27th August, 2008.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

का.आ. 2248(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (छठा संशोधन) आदेश, 2008 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. का.आ. सं. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 के अधीन आदेश द्वारा यथासंशोधित विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में पैरा 3 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“**स्पष्टीकरण :** यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यापारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसके स्टॉकों का भाग आयातों से प्राप्त किया गया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।”

[फा. सं. 10/4/2008-ई.सी.आर.एंड ई]

राकेश कक्कर, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा. का. नि. 104(अ) तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सं. सा. का. नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, सं. का. आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006 सं. का. आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 सं. का. आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, सं. का.आ.823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 और सं. का. आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा उसमें संशोधन किए गए।

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O. 2248(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment), Order 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. If the Removal of (Licensing requirements, stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, as amended by the Order *vide* S.O. 2117(E), dated 27th August, 2008, in para 3, after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

“**Explanation :** If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.”

[F. No. 10/4/2008-ECR&E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 104(E)] dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by number G.S.R.490 (E), dated the 16th June, 2003, number S.O. 1373 (E), dated the 29th August, 2006, number S.O.297(E) dated the 27th February, 2007, number S.O. 1488 (E) dated the 31st August, 2007, number S.O.400 (E), dated the 28th February, 2008, number S.O. 823 (E), dated the 7th April, 2008, number S.O. 2117(E), dated the 27th August, 2008 and S.O. 2118 (E) dated the 27th August, 2008.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

का.आ. 2249(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (सातवां संशोधन) आदेश, 2008 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. सं. का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 के अधीन आदेश द्वारा यथासंशोधित विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में पैरा 3 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यवहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसके स्टॉकों का भाग आयातों से प्राप्त किया गया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।"

[फा. सं. 10/4/2008-ई.सी.आर.एंड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा. का. नि. 104 (अ) तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकशित किया गया था और तत्पश्चात् सं. सा. का. नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, सं. का.आ. 1373 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, सं. का. आ. 297 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2007, सं. का. आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, सं. का.आ. 823(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 2117 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 और सं. का. आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा उसमें संशोधन किए गए।

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O. 2249(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Seventh Amendment) Order, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of (Licensing requirements, stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 as amended by the Order vide S.O. 2118(E), dated 27th August, 2008, in para 3, after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation : If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits."

[F. No. 10/4/2008-ECR&E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by number G.S.R. 490 (E), dated the 16th June, 2003, number S.O. 1373 (E), dated the 29th August, 2006, number S.O. 297 (E), dated the 27th February, 2007, number, S. O. 1488 (E) dated the 31st August, 2007, number S.O. 400 (E), dated the 28th February, 2008, number S.O. 823 (E), dated the 7th April, 2008, number S.O. 2117 (E), dated the 27th August, 2008 and S.O. 2118 (E), dated the 27th August, 2008.

